

पत्रांक :- W.C.D.C./3469/24


दिनांक :- 12/09/2024

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 की धारा 4(1) एवं 4(2) के आलोक में महिला एवं बाल विकास निगम के स्तर पर महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं इस संबंध में प्राप्त परिवादों की सुनवाई हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या wdc-1221/24, दिनांक-19.03.2024 द्वारा गठित आंतरिक समिति का आंशिक संशोधन के साथ निम्न प्रकार से पुर्नगठन किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	समिति	मोबाईल नं०	ई-मेल
1.	श्रीमती अनुपमा ओझा (SPM, क्षमतावर्धन)	अध्यक्ष	9955998049	anupamamojha@rediffmail.com
2.	पद्मश्री सिस्टर सुधा वर्गीज (नारी गुंजन संस्थान)	बाह्य सदस्य	9431025201	narigunjan@gmail.com
3.	श्री अरुण कुमार चौधरी (SPM, माइक्रोफाइनांस)	सदस्य	8235801254	arun_rims@yahoo.co.in
4.	डॉ० महालक्ष्मी कुमारी (प्रबंधक संचार एवं प्रलेखन)	सदस्य	9304730456	mluxsingh@rediffmail.com
5.	श्रीमती कुमारी नेहा (सहायक)	सदस्य	9955998025	wdcneha712@gmail.com
6.	श्रीमती रानी कुमारी (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर)	सदस्य	8271981200	krrani755@gmail.com

उक्त समिति, अधिनियम एवं नियमावली के आलोक में अपने कार्यालय स्थल महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी तथा निर्धारित समयकाल में निष्पादन सुनिश्चित करेगी। यह समिति समय-समय पर बैठक करेगी तथा स्थिति की समीक्षा कर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कदम उठायेगी।

  
निदेशक

ज्ञापांक :- W.C.D.C./3469/24 दिनांक :- 12/09/2024

प्रतिलिपि :- 1. आंतरिक समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ।

2. महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु।

3. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ।

  
निदेशक